राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 26/2021

पृथ्वीपाल पुत्र जयनारायण उम्र 49 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

<u>ब–ना–म</u>

1. देशराम पुत्र रिछपाल
2. धर्मेन्द्र पुत्र सतवीर
3. हंसराम पुत्र रिछपाल समस्त जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अप्रार्थीगण

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने</u>

निर्णय **दिनांक 08–02–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 368 में दर्ज खसरा नंबर 100 रकबा 1.06 है., ख.नं. 101 रकबा 1.06 है., ख.नं. 102 रकबा 0.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.73 है. की भूमि में प्रार्थी 19/819 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम नालपुर स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 खाता सं. 480 खसरा नंबर 1480 रकबा 0.17 है., ख.नं. 1490 रकबा 0.07 है., ख.नं. 1599 रकबा 0.74 [illegible] 1602 रकबा 0.27 है. ख.नं. 1680 रकबा 0.21 है., ख.नं. 1861 रकबा 0.57 है. ख.नं. [illegible] रकबा 0.29 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.32 है. की भूमि के अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थी के खेत ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित खाता संख्या 368 खसरा नंबर 101 रकबा 1.06 है. की भूमि में प्रार्थी के हिस्से की कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

काश्त भूमि में जाने के लिए ग्राम नालपुर के अन्दर के आम रास्ते से दक्षिण दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के खेत खसरा नंबर 1480 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे आगे सार्वजनिक नाला पार करने के बाद खसरा नंबर 1490 की उत्तरी–पूर्वी मेड के सहारे–सहारे होता हुआ ग्राम नालपुर की सीमा के साथ कदीमी रास्ता है उसी से होकर प्रार्थी अपने हिस्से के खेत में आता जाता है इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने हिस्से के खेत खसरा नंबर 101 में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए एवं भूमि के बदले भूमि देने का निवेदन किया तो भी अप्रार्थीगण इंकार हो गये। जबकि उक्त रास्ता प्रार्थी के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यहीं से ही उपयुक्त रास्ता संभव है। इसलिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खेत ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित खाता संख्या 368 में दर्ज खसरा नंबर 101 रकबा 1.06 है. की भूमि में जाने के लिए ग्राम नालपुर के अन्दर के आम रास्ते से दक्षिण दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के खेत खसरा नंबर 1480 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे आगे सार्वजनिक नाला पार करने के बाद खसरा नंबर 1490 के उत्तरी–पूर्वी मेड के सहारे–सहारे होता हुआ ग्राम नालपुर की सीमा के साथ–साथ प्रार्थी की भूमि ग्राम डाडा फतेहपुरा के खसरा नंबर 101 रकबा 1.06 है. की उत्तरी मेड तक 12 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलाया जाकर उस रास्ते को राजस्व रिकार्ड मं दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के [illegible] मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी से जरिये पत्र क्र [illegible] /2021/805 दिनांक 30.03.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1. जमाबंदी ग्राम डाडा फतेहपुरा संवत् 2073–2076 खाता संख्या 368 खसरा नंबर 100 रकबा 1.06 है., ख.नं. 101 रकबा 1.06 है. एवं ख.नं. 102 रकबा 0.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.73 है. की खातेदारी में प्रार्थी पृथ्वीपाल पुत्र जयनारायण हि0 19/819 दर्ज रिकार्ड है जो की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।
2. प्रार्थी ख.नं. 101 की संयुक्त खातेदारी में मकानात बनाकर सपरिवार निवास कर रहा है प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
3. प्रार्थी ख.नं. 101 में जाने के लिए कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रस्तावित रास्ते के अलावा पहुंच का वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
4. ग्राम नालपुर के ख.नं. 1464 गै.मु. आबादी से ख.नं. 101 में जाने के लिए राजस्व ग्राम नालपुर के ख.नं. 1477 में आबादी बसी होने के कारण व निर्माण के समय उक्त खसरा में ख.नं. 1480 तक प्रचलित रास्ता है। ख.नं. 1480 व 1490 समान खातेदारों की संयुक्त भूमि है व खसरा नंबर 1486 राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 1477 व 1464 के मध्य ख.नं. 1465 किस्म बंजड़–2 मौके पर नहर बनी हुई है, आने जाने के लिए पुल बना हुआ है।
5. ख.नं. 101 व 1477 के मध्य ख.नं. 1490 की पूर्वी व उत्तरी सीमा की लम्बाई 45 मीटर व ख.नं. 1486 गै.मु. नाला की लम्बाई 6 मीटर व ख.नं. 1480 की पूर्वी उत्तरी सीमा की लम्बाई 55 मीटर एवं ख.नं. 1465 बंजड़–2 8 मीटर है।
6. प्रस्तावित रास्ता की भूमि ख.नं. 1480 क्षेत्रफल 55x4 =220 वर्गमीटर, ख.नं. 1490 क्षेत्रफल 45x4=180 वर्गमीटर, ख.नं. 1486 क्षेत्रफल 64x4=24 वर्गमीटर, ख.नं. 1465 क्षेत्रफल 8x4=32 वर्गमीटर कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 456 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल 456 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर से 45845/– रूपये बनत हैं जिसका दुगुना प्रतिकर राशि रू.91690/– है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मांदरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को खसरा नंबर 101 में पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। उक्त खसरा नंबर में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1480, 1490, 1486, 1465 में प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल [illegible] चौड़ाई में 456 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 101 में आने जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। भूमि खसरा नंबर 1465 पर मौक पर नहर के ऊपर बने हुए पुल में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:46 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

का भराव कर अवरोध कारित नहीं किया जावे। प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 101 में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1480, 1490 एवं राजकीय भूमि खसरा नंबर 1486, 1465 की नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकितानुसार खसरा नंबर 101 से 12 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 1465 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 456 वर्गमीटर भूमि की कीमत 45845 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 91690/–रू. अक्षरे ईक्कानवें हजार छः सौ नब्बे रूपये प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 1480, 1490 के खातेदार को प्रतिकार की रकम अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा करें तथा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1486, 1465 की प्रतिकार की रकम राजकोष में जमा करवायें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 1480, 1490, 1486, 1465 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 08–02–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:46 IST
Reason: SelfAttested